55

पत्र संख्या –14/एम 1--0202/94–1326

बिहार सरकार,

उच्च शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

श्री के० सी० साहा,
सरकार के सचिव

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय

पटना, दिनांक 21 अगस्त 1995

विषय :–सेवा काल में मृत विश्वविद्यालय सेवकों के आश्रितों को वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषय पर अब तक विश्वविद्यालय सेवा काल में किसी सेवक की मृत्यु होने पर मृत विश्वविद्यालय सेवक के आश्रित को वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया है

1 किनका चयन हो सकता है:–

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ वैसे मृत विश्वविद्यालय सेवक के एक ही आश्रित को अनुमान्य होगा जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हुई है।

(ख) इस हेतु विश्वविद्यालय सेवक उसे ही माना जायेगा जिनकी नियुक्ति स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत की गई हो।

(ग) सेवाकाल में मृत विश्वविद्यालय सेवकों के आश्रितों को ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। आश्रित के अन्तर्गत केवल पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री तथा पुत्र की विधवा पत्नी सम्मिलित रहेगी। दत्तक पुत्र, दामाद, भतीजा को आश्रित नहीं माना जायेगा।

(घ) अनुकम्पा के आधार पर निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किसी एक आश्रित की नियुक्ति की जायेगी।

Scanned with CamScanner

(1) मृत सेवक की पत्नी।

(2) पुत्र।

(3) अविवाहित पुत्री।

(4) पुत्र की विधवा पत्नी।

(ड.) यदि पति–पत्नी दोनों विश्वविद्यालय सेवा में ही हों और किसी एक की मृत्यु हो जाय तो वैसी स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी आश्रित को नही मिलेगा।

(च) यदि कोई महिला विश्वविद्यालय सेवा में हो और उनके पति किसी सेवा में कार्यरत नहीं हों तो महिला सेवक की मृत्यु उपरान्त उनके पति को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ हो सकेगा।

2 जिनका चयन नहीं हो सकता है:–

(क) यदि आवेदक के प्रास्तावित पद हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त न हों। परन्तु महिला के मामलों में साईकिल चलाने की अर्हता को समान माना जायेगा।

(ख) यदि आवेदक को किसी संगेय अपराध के अपराधी के रूप में न्युनतम 6 माह के कारावास का दंड हुआ हो।

(ग) यदि आवेदक पर ऐसा मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन हो जिसमें उन्हें मृत्यु दंड अथवा सात वर्ष से अधिक के कारावास का सजा दिये जाने की सम्भावना हो, अथवा उक्त वाद के विस्तार होने पर यदि आवेदक को 6 माह अथवा उससे अधिक का दंड दिया जया।

3 आवेदन की समय सीमा

आवेदन देने की कोई समय सीमा नहीं होगी। लेकिन नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता का कड़ई से पालन किया जायेगा।

4 आवेदक पत्र का समर्पण और संलग्न किये जाने वाले कागजात

आवेदन हेतु निम्नलिखित कागजात उसी कार्यालय में जहाँ मृत विश्वविद्यालय सेवक अंतिम समय में कार्यरत थे दाखिल करने होंगे।

Scanned with CamScanner

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में जिसका नमूना अनुलग्नक में उपलब्ध है।

(ख) आवेदन पत्र के खण्ड–2 में उल्लिखित सभी बिन्दुओं पर अनुशंसा पदाधिकारी की अनुशंसा (नमूना अनुलग्नक 1 में)

(ग) मृत्यु प्रमाण–पत्र

(घ) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र

(ड.) आयु संबंधी प्रमाण–पत्र

(च) जाति प्रमाण–पत्र (केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिये)।

उपरोक्त (ग) से (घ) तक के सभी कागजातों की मूल प्रतियां एवं एक एक फोटो–स्टेट प्रतिया संलग्न करना अनिवार्य होगा। जहाँ पर मृत विश्वविद्यालय सेवक अंतिम समय में कार्यरत थे, उस कार्यालय के प्रधान को अनुशंसा पदाधिकारी कहा जायेगा। वे ही अनुलग्नक 1 (खण्ड–2) में विहित प्रवत्र में क्रमांक 7 को हस्तातरित करेंगे।

5 विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त होने एवं उपर्युक्त कंडिकाओं में अन्य निर्धारित प्रमाण–पत्र आदि प्राप्त होने के एक माह के अन्तर्गत नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे।

6 अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी, जिसके सदस्यों का चयन कुलपति अपने स्तर पर करेंगे। परन्तु मनोनीत सदस्य में अनुसूचित जाति/जनजाति का एक प्रतिनिधि, की प्रत्येक बैठक में उपस्थिति अनिवार्य होंगी। उक्त समिति की बैठक कुलपति द्वारा नियमित अन्तराल पर आवश्यकता अनुसार बुलाई जायेगी।

7 आरक्षण नीति संबंधी निर्देश–अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अगर रिक्त आरक्षित बिन्दु पर हो तो आरक्षित बिन्दु को अग्रणीत करते हुए आवेदक को नियुक्त कर लिया जायगा।

Scanned with CamScanner

8 नियुक्ति पत्र का निर्गत किया जाना

(क) जिस व्यक्ति की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की जायगी उसके नियुक्ति पत्र में निम्नांकित शर्त अनिवार्य रूप से अभिलिखित की जायेगी।

(i) नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति पर मृत विश्वविद्यालय सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा। नियुक्ति के समय नियुक्ति कर्मचारी से निम्नलिखित घोषणा पत्र लिया जायेगा।

घोषण–पत्र

मै ..... पिता का नाम ..... पता .....
..... (जिसने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है।) घोषणा करता/करती हूँ कि मैं मृत सेवक के आश्रित परिवार का भरण पोषण करूँगा/करूँगी। मैं इस बात की भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे इस बात की जानकारी है कि मृतक के आश्रित परिवार की देखभाल में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा मेरी सेवा बगैर सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। दो निष्पक्ष गवाही का हस्ताक्षर ..... हस्ताक्षर ..... नाम एवं पता ..... तिथि ..... ।

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण–पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(iii) गलत तथ्यों अथवा कागजातो के आधार पर प्राप्त कि गई नौकरी के नौकरीधारी के बाद में किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए बर्खास्त किया जा सकेगा।

(ख) किसी भी स्थिति में नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति पत्र में हस्ताक्षरित किये जाने की शक्ति अधीनस्थ पदाधिकारी प्रत्योयोजित नहीं कर सकेंगे।

(ग) नियुक्ति पत्र निर्गत करने के समय साधारण नियुक्ति में आवेदक से जो घोषणा पत्र लिये जाते है यथा–दहेज नहीं लेना एवं नहीं देना, आदि वे सभी घोषणा पत्र अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में भी आवेदक से लिये जायेंगें।

9 किन पदों पर नियुक्ति की जा सकती है:–

(i) वर्ग 4 से सभी पद।

(ii) 1200–1800 रू० तक के वेतन के वर्ग 3 के सभी पद।

Scanned with CamScanner

(क) अनुकम्पा के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति होने पर पुनः उसे अनुकम्पा का दोबारा लाभ देते हुए उसकी प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(ख) इस परिपत्र का कोई लाभ अब तक नियुक्त हो चुके किसी व्यक्ति की संवर्ग/पद परिवर्तन हेतु अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति नियमित नियुक्ति मानी जायेगी। नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्त व्यक्ति को उसी नियुक्ति के संवर्ग में अन्य विश्वविद्यालय सेवकों की भांति, नियमों के अनुसार पूर्व निर्धारित अवधि के लिये परिक्ष्यमान के तौर पर रखेंगे। तत्पश्चात् उस पर उसकी संपुष्टि हेतु विश्वविद्यालय नियम ही पूर्णतः लागू होंगे।

(घ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिये जो नियम/उपलब्ध निर्धारित किये गये हों, उनको शिथिल करने अथवा उसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण निर्गत करने की शक्ति केवल प्रशासी विभाग में निहित होगी।

(ड.) अनुकम्पा के आधार पर किसी विधवा की नियुक्ति होती है तो पुनः शादी होने के बाद भी वह सेवा में रहेगी, बशर्ते कि मृत सेवक के आश्रित परिवार का भरण पोषण के दायित्व का निर्वाह सफलतापूर्वक करती हो।

(च) सेवानिवृति के बाद पुनर्नियुक्ति में अगर किसी विश्वविद्यालय सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा।

11 इस परिपत्र के प्रावधान निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे। पूर्व में हुई मृत्यु के मामले पर इस परिपत्र के प्रावधानों के आधार पर विचार/पुनर्विचार नहीं किया जा सकेगा।

12 इस परिपत्र की प्रभाव सीमा

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों पर पूर्णरूप से लागू समझा जायेगा।

विश्वाभाजन

ह०/–

(के० सी० साहा)

सरकार के सचिव,

उच्च शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक संख्याः–14/एम 1–0202/94/1326

पटना, दिनांक 21 अगस्त 1995

Bihar Sarkar

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि :—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/—
(के० सी० साहा)
सरकार के सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, बिहार

ज्ञापांक संख्याः—14/एम 1—0202/94/1326 पटना, दिनांक 21 अगस्त 1995

प्रतिलिपि :—

1. महामहीम राज्यपाल के प्रधान सचिव तथा मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव का सूचनार्थ प्रेषित।
2. उच्च शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी एवं लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—
(के० सी० साहा)
सरकार के सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, बिहार

Scanned with CamScanner